5 रु. Rs.5 भारत INDIA पाँच रुपये FIVE RUPEES

न्यायालय माननीय राजस्व मण्डल मध्यप्रदेश ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक /२०१६ निगरानी निग-991-I-16

रमेश चन्द्र पुत्र मेता निवासी ग्राम- मांगरोल, तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना (मध्यप्रदेश) ।

---- प्रार्थी

बिरुध्द

१- जगदीश प्रसाद | पुत्रगण रामचरण लाल
२- नरोत्तम | रावत ।
३- लाखन पुत्र शंकर,
४- केशव पुत्र जीवनलालरावत
५- कमलाबाई बेवा वंशीराम

समस्त निवासीगण ग्राम मांगरोल, तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना (म०प्र०) ।

६- श्रीमतीराम कटोरी पत्नी कंटी,
७- श्रीमती रामकली पत्नी कल्ला,

निवासीगण ग्राम- बाबड़ीपुरा (टेंटरा), तहसील सबलगढ़ जिला मुरैना (म०प्र०)।

----- प्रतिप्रार्थीगण

निगरानी बिरुध्द आदेश एस०डी०ओ० महोदय सबलगढ़ जिला मुरैना दिनांक १७-०३-१६, अन्तर्गत धारा ५० मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता, -१९५९। प्र०क्र० ६७।१४-१५ अपील ।

श्रीमान जी,

निगरानी का प्रार्थना पत्र निम्नानुसार प्रस्तुत है:-

१- यह कि, एस०डी०ओ० महोदय की आज्ञा कानूनन सही नहीं है ।

... महोदय ने प्रकरण ... के स्वरूप एवं

XXIX(a)-BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश - ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ

प्रकरण क्रमांक - निगरानी-991-एक/16 **जिला** - मुरैना

स्थान एवं दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
05-12-18	आवेदक की ओर से, अधिवक्ता श्री एस. के. अवस्थी उपस्थित। आवेदक की ओर से यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी के आदेश के विरुद्ध प्रस्तुत की गई है। म.प्र. भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुए संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अंतर्गत अनुविभागीय अधिकारी द्वारा पारित आदेश के विरुद्ध सुनवाई कलेक्टर द्वारा की जाना है। अतः यह प्रकरण सुनवाई हेतु कलेक्टर को भेजा जाता है। उभयपक्ष प्रकरण में सुनवाई हेतु दिनांक २५-५-१९ को कलेक्टर, जिला मुरैना के समक्ष उपस्थित हों। (हस्ताक्षर) **प्रशासकीय सदस्य**	